**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

# छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

## दाण्डिक विविध याचिका सं. 701/2022

1. कार्तिकेय एंटरप्राइजेज के स्वामी, रामकृष्णन राजू, आयु- लगभग 50 वर्ष, निवासी- आर. सत्यनारायण राजू, निवासी- फ्लैट सं. 302, मेट्रो जेल अपार्टमेंट, साइंस वैली, लोसांग गार्डन रोड, माधोपुर, थाना- माधोपुर, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)

**..... याचिकाकर्ता**

**बनाम**

1. देवजी एक्सपोर्ट के स्वामी विनोद सोनी, बाबूलाल सोनी, निवासी- नेशनल टेलर्स के सामने, मस्जिद के पास, छोटापारा, रायपुर, थाना- सिटी कोटवाली, रायपुर छत्तीसगढ़।

**..... उत्तरवादी**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

| | | |
|---|---|---|
| याचिकाकर्ता की ओर से | : | श्री बी. एल. साहू, अधिवक्ता |
| उत्तरवादी की ओर से | : | श्री शिखर शर्मा, अधिवक्ता |

**माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ प्रतीम साहू**

**पीठ पर निर्णय**

**12/9/2025**

1. यह याचिका दाण्डिक पुनरीक्षण सं. 195/2020 में सी.बी.आई. प्रकरणों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, रायपुर द्वारा पारित 08.10.2021 दिनांकित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण को स्वीकार किया है, जिसमें परिवाद प्रकरण सं. 6071/2018 विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, रायपुर द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की

धारा 91 के तहत प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार कर पास-बुक, कैश बुक और आयकर रिटर्न जैसे दस्तावेजों को अभिलेख में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इसमें उत्तरवादी ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (संक्षेप में '1881 का अधिनियम') की धारा 138 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि याचिकाकर्ता ने दायित्व का निर्वहन करते हुए रु.86,71,850/- की राशि का चेक जारी किया है। चूंकि याचिकाकर्ता के विरुद्ध किया गया दावा बड़ी राशि का था, इसलिए याचिकाकर्ता ने उपस्थित होकर सुसंगत दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या सुसंगत समय पर उत्तरवादी के पास इतनी बड़ी राशि थी जैसा कि चेक में उल्लेख किया गया है। विद्वान दण्डाधिकारी ने आवेदन में किए गए अभिवचनों और संबंधित पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों का विश्लेषण कर उक्त आवेदन को स्वीकार किया। यद्यपि, विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने गलती से उस आदेश को अपास्त कर दिया। उन्होंने तर्क किया कि जब चेक की राशि रु.86,71,850/- है, तो इसमें उत्तरवादी को यह साबित करना है कि उसने याचिकाकर्ता को इतनी बड़ी राशि के सामान की आपूर्ति की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. उत्तरवादी की ओर उपस्थित विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन करते हैं कि यह प्रकरण नहीं है कि उत्तरवादी ने 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें कथन किया गया था कि उत्तरवादी ने रु.86,71,850/- का हस्त-ऋण दिया था, परन्तु आवेदन यह अनुरोध करते हुए प्रस्तुत किया गया था कि उत्तरवादी ने याचिकाकर्ता को उक्त मूल्य के फ्लाई-ऐश की आपूर्ति की थी। फ्लाई ऐश कर मुक्त वस्तु है। इसके अलावा, 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत दाण्डिक प्रकृति की कार्यवाही में उत्तरवादी को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के तहत आवेदन पर कोई दस्तावेज जमा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अपने निवेदन के समर्थन

में उन्होंने **(2020) 13 एस. सी. सी. 471** में प्रतिवेदित **डी. के. चंदेल बनाम वॉकहार्ट लिमिटेड** के प्रकरण के निर्णय का अवलंब लिया।

4. मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

5. 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत आवेदन याचिकाकर्ता द्वारा फ्लाई-ऐश की आपूर्ति के भुगतान के लिए जारी किए गए रु. 86,71,850/- के चेक का अनादरण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। यह भी विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरवादी के पक्ष में चेक जारी किया गया था। बहस के दौरान, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि ब्लैंक चेक जारी किया गया था और फ्लाई ऐश का क्रय केवल रु. 1,00,000/- का था। प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों में जहां चेक राशि की वसूली के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो माल की आपूर्ति के लिए है, इस न्यायालय के मत में, विद्वान दण्डाधिकारी ने बैंक विवरण, रिटर्न और कैश बुक को अभिलेख पर प्रस्तुत किए जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के तहत प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार कर गलती की।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत, चेक धारक के पक्ष में एक धारणा होती है जब तक कि यह विपरीत साबित न हो जाए।

> "7. जैसा कि विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि कीटनाशकों के क्रय के लिए अपीलार्थी द्वारा बकाया और देय राशि के लिए चेक जारी किया गया था। जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से टिप्पणी की गई है कि लेखा पुस्तिकाओं/कैश बुक का प्रस्तुत किया जाना व्यवहार न्यायालय में सुसंगत हो सकता है परन्तु पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रस्तुत दाण्डिक प्रकरण में ऐसा

नहीं हो सकता है। ऐसा चेक धारक के पक्ष में उठाए लगाए अनुमान के कारण है। विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित समवर्ती निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए हम पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्ध में हस्तक्षेप के आह्वान का कोई आधार नहीं देखते हैं।

7. **(2014) 2 एस. सी. सी. 236** में प्रतिवेदित जॉन के. अब्राहम बनाम **साइमन सी. अब्राहम व एक अन्य** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया जाता है कि 1881 के अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान लगाने के लिए परिवादी को अपने प्रारंभिक भार का उन्मोचन करना आवश्यक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. इसलिए, यह परिवादी को तय करना है कि वह किस तरीके से अपना प्रकरण साबित करना चाहेगा। अभियुक्त परिवादी को एक विशेष तरीके से कार्य करने का निर्देश नहीं दे सकता है और उसे प्रकरण को साबित करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। इसके अलावा, क्या उत्तरवादी ने आयकर का सही भुगतान किया है या नहीं, यह वह मामला है जिस पर आयकर विभाग द्वारा विचार किया जाना है और उत्तरवादी सदैव साक्ष्य प्रस्तुत कर आवश्यक धन की उपलब्धता का प्रमाण दे सकता है।

9. **(2019) सुप्रीम (एस.सी.) 300** में प्रतिवेदित **रोहितभाई जीवनलाल पटेल बनाम गुजरात राज्य** के प्रकरण में, माननीय सुप्रीम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के प्रकरण में खाता पुस्तिका/कैश बुक आदि सुसंगत नहीं हैं।

10. उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जहां विद्वान दण्डाधिकारी के समक्ष उत्तरवादी /परिवादी का दावा है कि याचिकाकर्ता द्वारा फ्लाई ऐश की आपूर्ति के लिए चेक जारी किया गया था, और आगे माननीय सर्वोच्च न्यालालय के निर्णयों पर विचार करते

हुए, जैसा कि ऊपर विवेचित है, मैं विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय के पुनरीक्षण को स्वीकार करने वाले आदेश में कोई दुर्बलता या विकृति नहीं पाता हूँ।

11. याचिका सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है और इसके एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

सही/-

(पार्थ प्रतीम साहू)

न्यायाधीश

**(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**